निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामनारायण पुत्र मंगला जाति जाट, निवासी ग्राम तिबारिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर श्री अरूण कुमार जैन
2. छीतर पुत्र नन्दा
3. धापू देवी पत्नी पेमाराम
4. पेमाराम पुत्र नाथू
5. प्रभूदयाल पुत्र नन्दाराम
6. भंवर लाल पुत्र नन्दाराम

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिबारिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 261/2022 एवं प्रार्थना पत्र सं. 139/2022 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 ब उनवानी रामनारायण बनाम छीतर व अन्य।

उपस्थितः—

1. श्री .विवेक शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक **20.06.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 261/2022 एवं प्रार्थना पत्र सं. 139/2022 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 ब उनवानी रामनारायण बनाम छीतर व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. बहस प्रार्थी सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांभर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर वाद संख्या 261/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 139/2022 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 ब–उनवानी रामनारायण बनाम छीतर वगैरह प्रस्तुत की, जो कि तारीख पेशी 30.01.2023 में नियत थी। दिनांक 30.12.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी एसडीओ साहब से बात हो चुकी है, अब हम तुम्हारे दावे में जो स्टे दिया गया है, उसको शीघ्र ही खारिज करवा देंगे क्योंकि हमारी राजनैतिक पहूँच उपर तक है। हम अपने धनबल एवं राजनैतिक पहुँच के कारण एसडीओ साहब पर दबाव बना रखा है, जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अवमानना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2022 को प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है, उसके उपरांत भी अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के चारो ओर लगे पेड़ों को जेसीबी लगाकर खुदाई करवा रहे है तथा आए दिन प्रार्थी को परेशान कर रहे है। प्रार्थी द्वारा कन्ट्रोल रूम या थानाधिकारी जोबनेर को सूचित किए जाने पर थानाधिकारी जोबनेर द्वारा सिपाही भेजकर प्रार्थी को यह धमकी दी जाती है कि आप राजीनामा कर लो अन्यथा अप्रार्थीगण तुम्हे जान से मार देंगे, हम कुछ नहीं करेगे। हाल ही में अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी ही एसडीओ साहब तुम्हारा स्टे खाारिज कर देगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है। तत्पश्चात् प्रार्थी अप्रार्थीगण को धमकी दी जिस पर प्रार्थी अपने मुकदमें की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 09.01.2023 को न्यायालय में गई, तो उसने अप्रार्थी संख्या 2 व 4 को एसडीओ साहब के चैम्बर में से आते देखा, प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खड़ा देखकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसका स्टे खारिज करने की धमकी दी, प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की जानकारी एसडीओ साहब को दी तो एसडीओ साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी तुम्हारा दावा स्टे चलने योग्य नहीं है, मैं इसका शीघ्र निस्तारण करूंगा, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब भी पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को किसी अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रासंफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार है, जो अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है तथा प्रार्थी के वादअधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के स्टे व दावे को खारिज करा देंगे तो वो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अतः न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है।

5. अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक हो चुकी है, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए है और ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।
6. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है एवं प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।
7. प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थीगण की प्रकरण में अनुपस्थिति प्रार्थी की न्याय मिलने में शंका को बल देती है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है।

9. अतः संपूर्ण तथ्यों पर मनन फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 261/2022 एवं प्रार्थना पत्र सं. 139/2022 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 ब उनवानी रामनारायण बनाम छीतर व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर को अन्तरण किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 20.006.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर